

भवन निर्माण क्षेत्रों में बढ़ाएं हरियाली: हाजी परवेज



हरित भवनों के निर्माण पर आयोजित हुई कार्यशाला

भारत में निर्माण होना बाकी है। वक्ताओं ने हरित भवनों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि क्षेत्र में शहरों को व्यापक वैविध्यपूर्ण नीति उपकरणों के साथ काम करना होगा। इनमें शामिल है विनियामक और संस्थागत सुधार, भवन निर्माण परमिट आवश्यकताओं में परिवर्तन, नीतियों की पैमाइश, किराए के बाजार के लिए ऊर्जा दक्ष नियम,



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

शहरों में जिस तेजी से आवासीय और व्यावसायिक भवनों का निर्माण हो रहा है वह पर्यावरण को प्रभावित करने के साथ ही ऊर्जा, जल एवं अन्य संसाधनों पर भी असर डाल रहा है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। गांव की अपेक्षा शहर का आदमी अधिक बीमार होता है। क्योंकि गांव में पेड़ पौधे, तालाब और खुली हवा मिलती है जो शहरों में नहीं के बराबर है। इस लिए जरूरी है कि हरित भवनों की योजना बनाई जाए लोगों को बताएं कि भवन निर्माण के समय निर्माण क्षेत्र की हरियाली बढ़ाएं, ऊर्जा की बचत का ध्यान रखें तथा निर्माण सामग्री के प्रयोग में भी प्राकृतिक संरक्षण का ध्यान रखें। उक्त बातें विधायक हाजी परवेज अहमद ने सीएसई और एलडीए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में कही।

इस कार्यशाला में आए वक्ताओं ने कहा कि लखनऊ व दिल्ली में ऊर्जा और संसाधन गटकने पर

अंकुश लगाने के लिए भवन निर्माण क्षेत्र की हरियाली बढ़ाने के लिए उन्नत सुधार कार्रवाही की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रों में बिजली की खपत की तुलना में लखनऊ के आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास दर दृष्टिगोचर होता है। निर्माण कार्य के उत्कर्ष के परिणामस्वरूप ऊर्जा और समग्र पर्यावरण का प्रभाव गंभीर हो सकता है। इसके साथ ही दिल्ली और लखनऊ में कार्रवाही बढ़ाने के लिए आक्रामक कार्य-योजना की जरूरत होगी। राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित क्षेत्र के 3 प्रतिशत से भी कम जगह हरित भूमि के रूप में प्रमाणित की गई है। उन्होंने कहा कि संसाधन क्षमता उपायों के बिना अत्यधिक उत्तेजित भवन निर्माण शहरों में निवास को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक और आवासीय भवन भारत के 40 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा को गटक जाते हैं। 2030 में मौजूद रहने वाले भवन स्टॉक के 70 प्रतिशत का अभी

संसाधन क्षमता पर पारदर्शी जानकारी, नीतियों की पैमाइश, व्यक्तिगत उपयोग और जीएचजी उत्सर्जन आदि के आधार पर ऊर्जा बिल। भवनों के अधिभोग-पश्च मूल्यांकन से परिमेय परिणाम सुनिश्चित किए जाए जिससे विकासकों और उपयोगकर्ताओं को फीडबैक के रूप में दिया जाए। साथ ही लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि घरों के लिए ऊर्जा-कुशल और पानी की बचत रणनीतियों के मामले में लोगों को बताएं कि क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि विकल्प, कीमतें और आपूर्तिकर्ता संबंधी जानकारी कहाँ से मिल सकती है। आर्थिक विकास से समझौता किए बगैर संसाधन कुशल शहरी विकास संभव है।

इस अवसर पर अविक्ल सोमवंशी, अनुमिता रॉयचौधरी, प्रो. रितु गुलाटी, दीपेन्द्र प्रसाद, वामसी रंगा, आर के गोविल, एसपी श्रीवास्तव, अनुपम मित्तल, डा. व्यंकटेश दत्ता सहित अनेक लोग मौजूद थे।